राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12692/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
अशोक कुमार गुप्ता म.न. 382, न्यू सिविल लाईन, महिला थाने के पास,, Bharatpur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 06/04/2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री लेखराज मीणा, उप निदेशक, कोष एवं लेखा, उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12-3-17 के द्वारा ज्ञापन दिनांक 24-5-13 जो कि 4 वर्ष बाद दिनांक 8-2-17 को अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया गया था के सम्बन्ध में 95 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 9-6-17 के उपरान्त भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक सूचनाऐं/ प्रतिउत्तर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अतः आवेदन के अनुसार चाही गई सूचना दिलवाई जावे। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि चाही गई सूचना अति वृहद सूचना है तथा उक्त सूचना में कोई लोकहित निहित नहीं है साथ ही अपीलार्थी ने अपने आवेदन में उनके स्वयं की परिवेदना अंकित कर समाधान चाहा है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 25-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है। अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा 95 बिन्दुओं की सूचना, पूर्व पदस्थापन उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर 2008 से 2012 की अवधि के दौरान उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को लिखे गये पत्र व विभिन्न प्रशासनिक कार्यकलापों, उनको विभाग द्वारा जो चार्जशीट दी गई थी आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 17-4-17 के द्वारा वृहद सूचना होने के कारण रिकॉर्ड के अवलोकन हेतु आमंत्रित किया गया था। परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। तदोपरान्त प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में पत्र दिनांक 18-7-17 से 45 पृष्ठीय सूचना तथा पत्र दिनांक 24-7-17 से 38 पृष्ठीय सूचना संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित कर दी गई। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा किये गये आरोप-प्रत्यारोप से सम्बन्धित विभिन्न पत्रों की जांच अथवा लम्बित प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करवाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नहीं आता है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के आवेदन में वृहद सूचना चाही है जिसमें उनके द्वारा अपनी परिवेदनाओं के निवारण एवं स्वयं की इच्छानुसार कार्यवाही करवाने की अपेक्षा की है, फिर भी अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 18-7-17 एवं 24-7-17 द्वारा 83 पृष्ठीय सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना वही दी जा सकती है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध है। राज्य लोक सूचना अधिकारी से ऐसी

कार्यवाही की अपेक्षा करना जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के भी अनुकूल नहीं है उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय/सूचना विधिसंगत है। फिर भी सूचना का अधिकार 2005 की भावना एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना के अधिकतम 25 पृष्ठ तक निःशुल्क एवं इससे अधिक पृष्ठों के लिए नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त